# राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

''किसान मण्डी भवन,'' विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

पत्रांक–अधि0''ख''/स्था0/2010–1191 दिनांक–26/10/,2010

समस्त उप निदेशक (प्रशा0/विप0)

**राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0।**

उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली 1984 में अधिसूचना संख्या–654/80–1–2010–600(1)–91 दिनॉक–04.06.2010 के द्वारा संशोधित प्राविधान लागू होने के फलस्वरूप मण्डी पर्यवेक्षकों को परिषद आदेश संख्या–अधि0''ग''/3839/2010–3745 दिनॉक–20.09.2010 द्वारा सचिव श्रेणी–3 ग्रेड–2 में संविलीन कर दिया गया है। मण्डी पर्यवेक्षकों के नियुक्ति प्राधिकारी सं0 उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) हैं। अतएव तत्समय मण्डी पर्यवेक्षकों के विभागीय कार्यवाही में निर्णय लेने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते सं0 उप निदेशक(प्रशासन/विपणन) को था। वर्तमान में उक्त सभी पर्यवेक्षकों का संविलियन सचिव श्रेणी–3 ग्रेड–2 में हो चुका है। सचिव के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, मण्डी परिषद हैं। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध गतिमान विभागीय कार्यवाही में अब सं0 उप निदेशक(प्रशासन) के द्वारा आदेश पारित किया जाना विधिसंगत नहीं होगा। उक्त समस्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही में निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी/निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा पारित किया जायेगा।

अतः यदि किसी सचिव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही वर्तमान में गतिमान है, तो उनकी जॉच पत्रावलियॉ एवं जॉच रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उनके विभागीय कार्यवाही के प्रकरणों में विधिसम्मत निर्णय पारित किया जा सके।

25.10.10

(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

प्रतिलिपि–समस्त, सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26.10.10

(राम केवल)
उप निदेशक (प्रशा0/विप0)